न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– रामदेव सिंह, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 31/2009 अन्तर्गत धारा 75 एल0 आर0 एक्ट

उनवान :– 1. सतबीरी पत्नि महेन्द्र जाति गूजर निवासी महेन्द्र फार्म घिटोरनी, नई दिल्ली – 30

:——— अपीलांट

बनाम

1. सरदारा पुत्र घोसी जाति वाल्मिकी निवासी ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (फौत)

1/1. मु0 अंगूरी बेवा सरदारा जाति वाल्मिकी निवासी ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर

1/2. मु0 रोशनी स्त्री स्व0 दुलीचन्द पुत्रवधु सरदारा जाति वाल्मिकी निवासी ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर

1/3. श्रीचन्द पुत्र सरदारा जाति वाल्मिकी निवासी ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर

1/4. सुभाष पुत्र सरदारा जाति वाल्मिकी निवासी ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर ।

1/5. ज्ञानचन्द पुत्र सरदारा जाति वाल्मिकी निवासी ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर

1/6. गुडडी पुत्री सरदारा स्त्री भगत जाति वाल्मिकी निवासी ग्राम राजियाका तहसील व जिला रेवाडी प्रान्त हरियाणा

:——— असल रेस्पो0

2. सूरजमल पुत्र गूजरमल जाति ज्योतिषि निवासी ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर ।

:——— तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर दिनांक 31.8.09

स्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2. वकील असल रेस्पो0 :— श्री प्रेमकुमार शर्मा

निर्णय दिनांक 9.6.2016

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर द्वारा अपील संख्या 14/16/2009 उनवान सरदारा बनाम सूरजमल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 31.8.09 के विरूद्ध है, जिसके द्वारा अपीलांट सरदारा (इस न्यायालय का असल रेस्पो0) की प्रथम अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा का आदेश दिनांक 2.9.88 तथा इसके तहत जारी सनद पटटा संख्या 871/पुर्न/88 दिनांक 2.9.88 निरस्त किया गया था तथा अपीलांट के नाम आवंटित भूमि का अमल दरामद करने के आदेश दिये गये थे ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार तिजारा ने आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा तथा 152/414 रकबा 01 बीघा वाके ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा की सनद संख्या 871 दिनांक 2.9.88 तरतीबी रेस्पो0 सूरजमल के पक्ष में जारी करने का आदेश दिनांक 2.9.88 पारित किया था । तहसीलदार तिजारा के इस आदेश से व्यथित होकर असल रेस्पो0 सरदारा (न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर का अपीलांट) ने तहत न्यायालय में प्रथम अपील पेश की, जो निर्णय दिनांक 31.8.09 के द्वारा स्वीकार की गई थी । इस आदेश से व्यथित होकर सतबीरी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 पर बहस करते हुये बताया कि अपीलांट राजस्व रेकार्ड में विवादित भूमि खातेदार दर्ज है, परन्तु उसको तहत न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया, जब कि वह हितबद्ध पक्षकार है । इसलिये मैंने 96 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की है । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति दी जावे ।

4. मियाद बिन्दू पर तर्क देते हुये विद्वान वकील अपीलांट ने बताया कि चूंकि अपीलांट को तहत न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया था, इसलिये अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 26.11.2009 को पटवारी के माध्यम से हुई । इस पर नकल लेकर एवं कानूनी सलाह मशविरा करके अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद दिनांक 15.12.2009 को पेश कर दी । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कन्डोन किया जावे तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि विवादित भूमि का आवंटन तरतीबी रेस्पो0 सूरजमल को हुआ था, जिसके नाम इन्तकाल नम्बर 173 दिनांक 9.9.88 के द्वारा खातेदारी का अमल हो गया । इसके पश्चात सूरजमल ने आराजी खसरा नम्बर 129, 152/414 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा रणधीर पुत्र जगदीश व सुदारामा पुत्र कल्लू सिन्धी को हस्तांतरित कर दी । इनके नाम इंतकाल नम्बर 182 दिनांक 30..5.89 स्वीकार होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो गया । इसके पश्चात विवादित आराजी व अन्य आराजी का तकासमा केतागण रणधीर पुत्र जगदीश व सुदारामा पुत्र कल्लू ने आपसी सहमति से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

तहसीलदार तिजारा के समक्ष कर लिया, जिस पर तहसीलदार तिजारा ने अपने आदेश के जरिये खसरा नम्बर 3 रणधीर पुत्र जगदीश, खसरा नम्बर 129 व 152/414 सुदामा पुत्र कल्लू को दे दिये । इस तकसीम का इन्तकाल नम्बर 537 दिनांक 13.5.05 स्वीकार होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो गया । इसके पश्चात सुदामा पुत्र कल्लू ने आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 67 एयर एवं 152/414 रकबा 25 एयर का बयान अपीलांट को कर दिया, जिस विक्रय का इन्तकाल नम्बर 538 दिनांक 6.6.05 अपीलांट के नाम दर्ज होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो गया । इस प्रकार अपीलांट विवादित भूमि की खातेदार है, परन्तु तहत न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया, उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । पूर्व में आवंटी सूरजमल को खातेदारी मिल चुकी थी । किसी की खातेदारी को पटटे की अपील के माध्यम से कलमजन नहीं किया जा सकता । एक बार खातेदारी मिल जाने के पश्चात समस्त कार्यवाहियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत होगी, ना कि भू राजस्व अधिनियम के तहत । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर सूरजमल का पटटा खारिज कर दिया । अब हम पक्षकारान में राजीनामा हो गया है । स्वयं असल रेस्पो0 ने राजीनामा लिख कर दे दिया है कि वे अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1989 आर0 आर0 डी0 पेज 45, 1991 आर0 आर0 डी0 218 (सी), 1994 आर0 आर0 डी0 606 (बी) तथा 1984 आर0 आर0 डी0 111 (ए) पेश की ।

5. विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि हमने अपीलांट के पक्ष में राजीनामा लिख कर दे दिया है । अगर मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांट स्वीकार कर ली जाती है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है ।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया एवं राजीनामा पर गौर किया । सर्वप्रथम धारा 96 सी0 पी0 सी0 पर गौर किया । अपीलांट विवादित भूमि की खातेदार दर्ज रेकार्ड है, परन्तु उसे तहत न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया था, जबकि वह हितबद्ध पक्षकार है । अपीलांट हितबद्ध पक्षकार होने के फलस्वरूप उसका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है ।

7. इसके पश्चात मियाद बिन्दू पर गौर किया । अपीलांट तहत न्यायालय में पक्षकार नहीं थी । उसने अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का के माध्यम से दिनांक 26.11.2009 को होना बताया है । विद्वान वकील अपीलांट द्वारा मियाद बिन्दू पर पेश किये गये न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस तर्कों पर विश्वास करते हुये लिबरल व्यू अपनाया जाकर की गई देरी को कन्डोंन किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

8- पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर है कि आराजी खसरा नम्बर 2 मिन रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 3 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 129 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा स्थित ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर का आवंटन आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 4.9.75 को सरदारा पुत्र घोसी

Scanned by CamScanner

जाति भंगी निवासी सलारपुर को किया गया था । तहसीलदार, तिजारा ने बाद में दिनांक 2.9.88 को उपरोक्त भूमि में से खसरा नम्बर 129 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा का आवंटन सूरजमल पुत्र गूजरमल ज्योतिष साकिन तिजारा को कर दिया गया तथा दिनांक 2.9.88 को ही सनद संख्या 871/पुनर्वास दिनांक 2.9.88 जारी कर दी गई । पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो कि आवंटन दिनांक 4.9.75 को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया गया हो । किसी व्यक्ति को आवंटित भूमि को आवंटन निरस्त किये बिना अन्य व्यक्ति को आवंटित करना विधिसम्मत कार्यवाही नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का भी यही अभिमत है, जो विधिसम्मत प्रतीत होता है,जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है । राजीनामा के आधार पर किसी अवैधानिक कार्यवाही को वैधानिक करार दिया जाना न्यायोचित नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.8.09 यथावत रखा जाता है ।

10. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत न्यायालयों की पत्रावलियां निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

9/6/16

(रामदेव सिंह)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner